कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

F 14(Trans) 2017/FCA/PCCF/CCF-EDS -1 Jaipur Dated 13.04.2018

Rajasthan Viduat Prasaran Nigam Limited, Ajmer के द्वारा अजमेर एवं नागौर जिले के वनमण्डल अजमेर एवं नागौर में CONSTRUCTION 220 KV D/C LINE AJMER BHERUNDA,RAJASTHAN के निर्माण कार्य हेतु वन मंडल अजमेर की 3.01 है0 एवं वन मण्डल नागौर की 0.91 है0 कुल 3.92 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/TRANS/29091/2017 दिनांक 30.10.2017 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:-

A- Compliance of EDS dated 6.3.2018 is awaited:

1. बिन्दु संख्या 3 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक अजमेर ने प्रस्ताव में 7.84 है0 हेतु प्रस्तुत की गई क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नही है इसके अतिरिक्त डी0जी0पी0एस0 मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कार्नर्स के जी0पी0एस0 कोर्डीनेट्स नही दिये गये है।
2. बिन्दु संख्या 5 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा 1 कि0मी0 दीवार निर्माण के संदर्भ में संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण चाही गई है किन्तु उसकी कितनी राशि होगी यह स्पष्ट नही किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक अजमेर की टिप्पणी भी संलग्न नही की गई है।
3. बिन्दु संख्या 6 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक नागौर ने 0 से 30 सेमी0 वाले 109 वृक्षों का आना अवगत कराया गया है। किन्तु 0.91 है0 मात्र 107 वृक्ष होने से छत्र घनत्व 0.6 होना उचित नही है।
4. बिन्दु संख्या 9 की पालना मे प्रस्तावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति वन मण्डल अजमेर एवं वन मण्डल नागौर की संलग्न कर दी गई है किन्तु हार्ड प्रति मे नागौर वन मण्डल की बकाया है।
5. बिन्दु संख्या 10 की पालना नही। उप वन संरक्षक नागौर एवं अजमेर द्वारा पारेषण लाईन के नीचे औषधीय पौधो के वृक्षारोपण की राशि नही ली गई है जो लिया जाना प्रस्तावित है।
6. बिन्दु संख्या 11 की पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में लिये गये विभिन्न विकल्पों का डिजिटल मेप KML file में एलटरनेट रूटस का एरिया 7.2625 एवं 6.3 के स्थान पर 7.21 एवं 4.92 है0 आता है विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मेप KML file दिया जाना प्रस्तावित है।
7. बिन्दु संख्या 13 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में 1 कि0मी0 दीवार के निर्माण के संबंध में उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण संतोषजनक नही है। दीवार निर्माण कार्य कैम्पा/नरेगा स्कीम में प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है।

B- Additional information is needed:

1. पारेषण लाइन के नीचे आने वाले वृक्षों की सूची संबंधित उप वन संरक्षक अजमेर एवं नागौर द्वारा नही की गई है। इसमें कुल वृक्षों की सूची, पातन योग्य एवं छंगाई वाले वृक्षों की सूची संलग्न की जानी प्रस्तावित है। — Undertaking of trees to be felled :- by U.A
2. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पारेषण लाईन में जी0टी0शीट में टावर लोकेशन नही दर्शाये गये है।

उक्त सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक अजमेर को निर्देशित किया जाता है।

17/4

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR

F.C.A

2070
29.4